

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम तथा अधिकारियों द्वारा हनुमान ताल में वृक्षारोपण

रतलाम 14 जुलाई । हनुमान ताल क्षेत्र को हरियाली से आच्छदित किये जाने हेतु कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारियों द्वारा बुधवार सुबह हनुमान ताल परिसर में वृक्षारोपण किया गया।

वृक्षारोपण के दौरान कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आम नागरिकों से भी अनुरोध किया कि जिले में अधिकाधिक हरीतिमा के दृष्टिगत ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। वृक्ष हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

उपसंचालक उद्यानिकी श्री पी.एस. कनेल ने बताया कि हनुमान ताल परिसर में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 5 हजार वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इनमें बोगनवेलिया, क्रोटन, कनेर, गुलाब, चांदनी, मोगरा, मधु, कामिनी, गोल्डन डूरंट, गुडहल, ड्रेसिना आदि सम्मिलित है। इसके अलावा रोड के दोनों किनारों पर भी शोभायमान पौधे रोपित किए जाना है।

इस दौरान डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन, सुश्री कृतिका भीमावद, सुश्री मनीषा वास्कले, जिला योजना अधिकारी श्री बालकृष्ण पाटीदार, ईईआरइएस श्री अनूप मिश्रा, उपसंचालक कृषि श्री ज्ञानसिंह मोहनिया, जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.सी. शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्री रजनीश सिन्हा, परियोजना अधिकारी डूडा श्री अरुण पाठक, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, नगर निगम के इंजीनियर सर्वश्री सुरेश व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, सत्यप्रकाश आचार्य, अरविन्द दशोत्तर, मनीष तिवारी, विकास मरकाम, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह आदि ने भी वृक्षारोपण किया।

गंगासागर परिसर में भी होगा पौधा रोपण

रतलाम में चालू वर्षा सत्र में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम की पहल पर नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट भी 10 हजार पौधे लगाने वाला है। नेशनल हाईवे रतलाम शहर के गंगासागर क्षेत्र में स्थित नगर निगम फिल्टर प्लांट परिसर में वृक्षारोपण करेगा। इसके लिए बुधवार प्रातः कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मीनाक्षीसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, निगम स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

बंजली में निर्माणाधीन पीएम आवासों का निरीक्षण

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मीनाक्षीसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ बंजली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन फ्लेटों का निरीक्षण किया व कार्य में गति लाये जाने के निर्देश दिये।

**निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा आयुष्मान कार्ड शिविरों का निरीक्षण
पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक कार्ड बनाने के दिये निर्देश
शिविर के प्रथम दिन 199 आयुष्मान कार्ड बनाये**

रतलाम 14 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के

शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु वार्डवार उचित मूल्य की दुकानों पर लगाये जा रहे शिविर का अवलोकन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के साथ कर अधिक से अधिक हितग्राहियों कार्ड बनाने के निर्देश गठित दल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिये। वार्डवार उचित मूल्य की दुकानों पर आयोजित किये गये शिविरों के तहत प्रथम दिन 199 आयुष्मान कार्ड बनाये गये।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में लगाये गये विशेष शिविर का अवलोकन किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य की दुकानों के कुल राशन कार्ड व सदस्यों की जानकारी ली साथ ही यह भी जानकारी ली कि उनकी दुकान में कौन-कौन से वार्डों सम्मिलित है। जानकारी प्राप्त करने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि उचित मूल्य की दुकानों के संबंधित वार्डों में उद्घोषणा करवाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही सूची अनुसार हितग्राहियों को दूरभाष से बुलाये जाने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाये।

15 जुलाई को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में शिविर आयोजित किये जायेंगे।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

**पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें
ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम विभाग में संपर्क करें**

रतलाम 14 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रुपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

श्याम कबाड़ी पर 5000 का जुर्माना

रतलाम 14 जुलाई । दिलीप नगर क्षेत्र में श्याम कबाड़ी द्वारा गंदगी व अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने संबंधित पर 5000 का जुर्माना कर भविष्य में गंदगी व अतिक्रमण ना करने की समझाईश दी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

14 जुलाई को 93 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 14 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 14 जुलाई बुधवार को 93 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

14 जुलाई बुधवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 57960, काम्पेक्टर सूखा कचरा 15165, काम्पेक्टर गीला कचरा 14270 व मैजिक 5653 किलो इस तरह कुल 93048 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

1074 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 14 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 14 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1074 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 15 जुलाई को सैलाना रोड क्षेत्र से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहुचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम

दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

सफाई कार्य में अब दिखने लगा है सुधार कार्य के फोटो व्हाट्स एप डालने का हुआ असर

रतलाम 14 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर की सफाई व्यवस्था में ओर अधिक सुधार लाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों के फ्लेक्स लगाने व कार्य की फोटो व्हाट्स एप डालने से अब प्रातःकाल से साथ-साथ दोपहर पश्चात भी कर्मचारियों द्वारा सफाई का कार्य मुस्तैदी से किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई संरक्षक, वार्ड दरोगा, झोन प्रभारी व स्वास्थ्य अधिकारी के नाम, मोबाईल नम्बर का फ्लेक्स लगाया गया साथ ही किये गये कार्य के फोटो प्रतिदिन व्हाट्स एप ग्रुप में डालने के निर्देश के तहत सफाई कार्य में सुधार आया है। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने में नागरिक भी सहयोग करें ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बन सकें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है कि वार्डों में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यों की फोटो पृथक-पृथक शिफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप ग्रुप "मैं बनाउंगा रतलाम नम्बर 1" में भेजें फोटो के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि वार्डों में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:30 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन किया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला विभाग के लिपिक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रातः 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5:30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी दरोगाओं को निर्देशित किया है कि वार्ड के सफाई कर्मचारियों का बीट (कार्यक्षेत्र) की जनकारी प्रस्तुत करें गलत जानकारी देने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उद्यान विभाग के मालियों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:00 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये। उन्होने निर्देशित किया कि जिस कर्मचारी को जो वार्ड ओर कार्य आवंटित है वहां पर कर्मचारी के नहीं मिलने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 14 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 जुलाई। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/14.07.2021/न.पा.निगम, रतलाम.

